

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**अधिसूचना**

संख्या— उ०सं०वि०—२६ / २००३

विभागीय अधिसूचना संख्या ६४७ दिनांक १७.०२.

२००४, जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा ८(ए) एवं ८(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में बांका, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :—

१. जिला समाहर्ता	—	अध्यक्ष
२. जिला आपूर्ति पदाधिकारी	—	सदस्य सचिव
(क) <u>जिला से संसद / विधान मंडलीय प्रतिनिधि</u>		
३. जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य	—	सदस्य
४. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद के सदस्य	—	सदस्य
(ख) <u>विभागीय पदाधिकारी / स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि</u>		
५. उप विकास आयुक्त	—	सदस्य
६. जिला शल्य चिकित्सक	—	सदस्य
७. जिला कल्याण पदाधिकारी	—	सदस्य
८. जिला शिक्षा पदाधिकारी	—	सदस्य
९. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम	—	सदस्य
१०. अध्यक्ष, जिला परिषद	—	सदस्य
११. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन	—	सदस्य
(ग) <u>महिला प्रतिनिधि</u>		
१२. श्रीमती रानी महकम, मुखिया, ग्राम— भल्लूचक, पो०— सैनचक, थाना— धोरैया, जिला— बांका।	—	सदस्य
१३. सुनन्दा देवी, पता—वार्ड पार्षद, वार्ड सं०— १४, नगर पंचायत— बांका, श्री अरविन्द मंडल, पुरानी ठाकुरबाड़ी, प्रखण्ड— बांका, थाना— बांका, जिला— बांका।	—	सदस्य
(घ) <u>स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि</u>		
१४. श्रीमती रंजना देवी, सचिव पता—महिला सिलाई बुनाई केन्द्र, बांका, ग्राम+पो०— करहरिया, थाना— बांका, प्रखण्ड— बांका, जिला— बांका।	—	सदस्य

15. श्री सत्येन्द्र कुमार, सचिव,  
नेहरू युवा केन्द्र, बांका,  
ग्राम— बाबूटोला, अमरपुर रोड, बांका,  
थाना— बांका, जिला— बांका।

— सदस्य

16. श्रीमती बिन्दु देवी, सचिव  
बिन्दु महिला सिलाई बुनाई केन्द्र,  
ग्राम— खेसर, पो— खेसर,  
थाना+प्रखण्ड— फुल्लीडुमर, जिला— बांका।

— सदस्य

17. श्री मृत्युंजय कुमार, सचिव, नीनन चौकेरि  
पता— बाबूटोला, अमरपुर रोड, बांका,  
जिला— बांका।

— सदस्य

(ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि

18. श्री नुरेश्वरी मराण्डी, कृषक  
पता— बाबूमहल, प्रखण्ड— चान्दन,  
जिला— बांका।

— सदस्य

19. श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, कृषक  
पता— ग्राम— भितिया,  
प्रखण्ड+थाना— फुल्लीडुमर, जिला— बांका।

— सदस्य

20. श्री अशोक कुमार मंडल,  
प्रो आशीष मिल,  
पता— ग्राम— बभनगामा,  
प्रखण्ड+थाना— बाराहाट, जिला— बांका।

— सदस्य

21. श्री शंकर प्रसाद साह,  
पो— सुखदेव प्रसाद साह,  
प्रो लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज, (अरवा चावल उत्पादनार्थ)  
ग्राम— मकरमडीह, पो— संझा, थाना— रजौन,  
प्रखण्ड— रजौन, जिला— बांका।

— सदस्य

(च) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति

22. डॉ नबाब अंसारी  
सदस्य, अनुश्रवण निगरानी समिति, चान्दन

— सदस्य

पता— ग्राम— हथियापाथर,  
पंचायत—बडफेरा तेतरिया  
जिला— बांका। मोबईल नं— 9771616890

— सदस्य

23. श्री सुमन पासवान, प्रमुख, रजौन फर्म<sup>क</sup>  
पता— ग्राम— बबरचक, पौत्र— नवादा बाजार,  
प्रखण्ड— रजौन, जिला— बांका।

— सदस्य

24. श्री रामानन्द राय, प्रमुख,

— सदस्य

- पता— धावा, पो०— भितिया,  
 प्रखण्ड— फुल्लीडुमर,  
 थाना— फुल्लीडुमर, जिला— बांका।
25. बीबी हाजरा खतुन, जिला पार्षद, — सदस्य  
 पता— सगुनियां, पो०— बटसार, थाना— धौरैया,  
 प्रखण्ड— धौरैया, जिला— बांका।

(2) शर्तः—

- जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
- जो माननीय सांसद / विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य है, के सांसद / विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे।
- जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद द्वे सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
- जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
- राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
- जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
- सांसद / विधायक / पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होग जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
- रथानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी—01 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष—3456 नागरीक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करायी जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाशित मित्र १३ जून १९८८)  
 सरकार के संयुक्त सचिव—सह—निदेशक

ज्ञापांकः— उ०सं०वि०-२६/२००३

७०५८

खाद्य, पटना/दिनांक ०३/०९/१५

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद/माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बैंकसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. प्रतिलिपि:— समहर्ता, बांका से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

ज्ञापांकः— उ०सं०वि०-२६/२००३

७०५८

खाद्य, पटना/दिनांक ०३/०९/१५

प्रतिलिपि:—सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांकः— उ०सं०वि०-२६/२००३

७०५८

सरकार के संयुक्त सचिव—सहनिदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक ०३/०९/१५

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव—सहनिदेशक